

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या – 149/ 2026

रामू

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, लखनऊ एवं 14 अन्य

... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – विनोद कुमार, अनीता यादव, प्रभाकर पाण्डेय

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, अतुल कुमार सिंह, दिलीप कुमार पाण्डेय

न्यायालय संख्या – 17

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी

1. वाद पुकारा गया। रिट याचिका पर बल देने के लिए कोई भी उपस्थित नहीं है और स्थगन के लिए कोई अनुरोध नहीं किया गया है। इसलिए, न्यायालय, उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री विकास राय, गाँव सभा के विद्वान स्थायी अधिवक्ता दिलीप कुमार पाण्डेय और विपक्षी संख्या 6 से 15 के विद्वान अधिवक्ता श्री अतुल कुमार सिंह, जिन्होंने अपना वकालतनामा और संक्षिप्त प्रतिशपथपत्र दायर किया है जिसे अभिलेख में दर्ज किया गया है, की सहायता से अभिलेख का परिशीलन करते हुए वाद के गुण-दोष का परीक्षण करने के लिए आगे कार्यवाही कर रहा है।
2. जनहित में दायर इस याचिका द्वारा याचिकाकर्ता ने ग्राम-कुन्दरौली सादिकपुर, परगना और तहसील-बिलग्राम, जिला-हरदोई में स्थित भूमि गाटा संख्या 185, क्षेत्रफल 0.0760 हेक्टेयर, जो राजस्व अभिलेखों में खाद के गड्डे के रूप में दर्ज है, से अतिक्रमण हटाने हेतु निर्देश जारी करने की मांग की है।
3. उप-जिलाधिकारी, बिलग्राम, हरदोई द्वारा प्रदान किए गए लिखित निर्देशों के आधार पर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने कहा है कि निजी विपक्षीगण द्वारा किया गया अतिक्रमण हटा दिया गया है। भूमि के एक भाग पर, एक

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अस्थायी चबूतरा मौजूद है जिस पर कुछ धार्मिक मूर्तियां स्थापित की गई हैं जिन्हें भी यथासमय हटा दिया जाएगा।

शेष भूमि को कटीले तारों की बाड़ लगाकर सुरक्षित कर दिया गया है।

4. निर्देशों के आधार पर, उन्होंने कहा है कि अतिक्रमण हटाने के लिए उ.प्र. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत वाद संख्या टी202510330317650 और वाद संख्या टी 202510330317651 संस्थित किए गए हैं।

5. उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत, याचिका को यह निर्देश जारी करते हुए निस्तारित किया जाता है कि तहसीलदार, बिलग्राम, हरदोई के समक्ष लंबित उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत वाद संख्या टी202510330317650 और वाद संख्या टी202510330317651 की कार्यवाही तत्परतापूर्वक संपन्न की जाएगी।

(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)

20 फरवरी, 2026

प्रदीप